न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद संख्या 88/2024-25
धारा 163 BNSS

प्रथम पक्ष .... राजा लाल दामोदर नाथ शादेव
बनाम
द्वितीय पक्ष .... राधेश्याम कुमार

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
	अंचल अधिकारी, पालकोट के पत्रांक 155(ii)/रा0 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **राजा लाल दामोदर नाथ शाहदेव**, पिता– स्व0 बड़ा लाल कृष्ण नाथ शाहदेव, पालकोट, गुमला के द्वारा **सीमा देवी**, पति– सुनील साहु एवं **अनिल साहु**, पिता– मदन साहु, ग्राम+पो0– पोजेंगा, थाना– पालकोट, जिला– गुमला को एग्रीमेंट पेपर के द्वारा बिक्री किया गया है। बिक्री की गई जमीन खाता सं0– 01, प्लॉट सं0– 1865, रकबा– 2.06 ए0 एवं खाता सं0– 03, प्लॉट सं0– 1864, रकबा– 0.37 ए0, **कुल रकबा 2.43 ए0** जमीन का आंशिक भाग है, जिस पर साप्ताहिक हाट–बाजार लगता है। उक्त भूमि के बिक्री के विरूद्ध **राधेश्याम कुमार** के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त भूमि को लेकर उपरोक्त व्यक्तियों के बीच विवाद है, जिसको लेकर उनके बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों की बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त है एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 17/7/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) 17/7/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2026.01.06 11:33:29 +05:30
Location: 192.168.1.35